कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in
☎.:0141-2209003 FAX-0141-2209003 E mail: oic.relief.jpr@gmail.com

दिनांक : 30/10/2025

क्रमांकः 3052

शासन उप सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर।

विषय : खोज एवं बचाव उपकरण मद 2245–01–800–03–04–18 में बजट आवंटन करने बाबत्।

प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक/सहा/2025/877 दिनांक 08.08.2025

महोदया,

विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में लेख है कि विभागीय पत्रांक राजकाज नं. 15191426 एवं 15191758 दिनांक 098.05.2025 द्वारा जिला जयपुर को बाढ़, भूकम्प, आगजनी एवं रासायनिक दुर्घटनाओं के दौरान प्रभावी आपदा प्रबन्धन हेतु "खोज एवं बचाव उपकरण" मद 2245–01–800–03–04–18 में क्रमशः राशि रूपये 19.35 लाख एवं 29.01 लाख कुल 48.36 लाख का बजट आवंटन बचाव उपकरण यथा (लाईफ जैकेट, लाईफ बाय, BOP रोप लाईन, गम बूट, हेलमेट, स्टेचर, ड्रेगन लाईट, मेगाफोन इत्यादि) क्रय करने हेतु किया गया था।

इसी अनुक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान के पत्रांक प.12(1)गृह–5/2025 जयपुर दिनांक 07.05.2025 द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" के सन्दर्भित जारी किये गये "आपदा प्रबन्धन के लिये दिशा–निर्देश" के बिन्दु संख्या 10 में "जिलों में संचार सेवाओं को सुचारू रखा जावे तथा Public Address System" पर्याप्त मात्रा में चालू स्थिति में उपलब्ध रहे" (छायाप्रति संलग्न) की आपात स्थिति के मध्येनजर जयपुर जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 30 सायरन नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर विभिन्न स्थानों पर नियोजित करवाये जा चुके हैं।

उक्त क्रय किये गये 30 सायरन के भुगतान से पूर्व विभागीय पत्रांक प.8(9)आ.प्र./2020/राजकाज नं. 15902743 दिनांक 13.06.2025 द्वारा अग्रिम आदेशों तक प्रतीक्षार्थ (Hold) रखे जाने के निर्देश प्राप्त होने पर नीचे अंकित सायरन आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान किये जाने हेतु बजट मांग संलग्न पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसका बजट आवंटन अभी तक प्राप्त नही हुआ है, विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	आईटम/सेवा का नाम	दर ईकाई प्रति नग 97500/– रूपयों में	जी.एस.टी. राशि 18 प्रतिशत रूपयों में	कुल राशि रू. में
1	GSM-Controlled Hooter & Loudspeaker System (Powerd by Mains With Inverter Backed Power Pack)	97500X30=2925000	526500	34,51,500

क्र. सं.	आईटम/सेवा का नाम		अनावृति व्यय तथा आवृति व्यय का विवरण	कुल राशि रू. में
2	स्थापित 30 सायरन का संचालन व्यय	अनावृति व्यय	One Time Charges for each private APN	11800
			Physical IOT BSNL SIM One Time Charges 10+GST X 30	354
		आवृति व्यय	IOT (M2M SIM) Plan Name IOT5 (Free Mobile date 500MB & 1000 SMS) दर प्रति नग 41 30X 30 =1240 प्रति माह 1240 x 12 माह=14880	14880
			Annual Charges for Static public IPv6 address per SIM 24 X 30	720
			कुल राशि	**27754**

प्रति वर्ष 15600/– (14880+720) संचालन व्यय हेतु आवश्यकता रहेगी, जिसकी प्रतिवर्ष अलग से बजट मांग की जावेगी।

अतः कृपया राशि 34,79,254 रूपये मात्र "खोज एवं बचाव उपकरण" मद 2245–01–800–03–04–18 में आवंटन कराने का श्रम करावें, ताकि सम्बन्धित फर्म को भुगतान एवं नियोजित सायरनों का रखरखाव किया जा सके। प्रशासनिक स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(युगान्तर शर्मा)
प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट

Signature valid
Digitally signed by Yugantar
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.10.30 12:09:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18366023
eSign 1.0

RajKaj Ref N...
अति0 जिला ...
Digit...

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in
☎.:0141-2209003 FAX-0141-2209003 E mail: oic.relief.jpr@gmail.com

क्रमांकः–सहा. / 3051 दिनांक : 30/10/2025

–: प्रशासनिक स्वीकृति :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान के पत्र क्रमांक प.12(1)गृह–5 / 2025 जयपुर दिनांक 07.05.2025 द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" के सन्दर्भित जारी किये गये "आपदा प्रबन्धन के लिये दिशा–निर्देश" के बिन्दु संख्या 10 में "जिलों में संचार सेवाओं को सुचारू रखा जावे तथा Public Address System" पर्याप्त मात्रा में चालू स्थिति में उपलब्ध रहे", की आपात स्थिति के मध्येनजर जयपुर जिले के शहरी / ग्रामीण क्षेत्र के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 30 सायरन आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के बजट आवंटन आदेश राजकाज नं. 15191426 एवं 15191758 दिनांक 08.05.2025 द्वारा जिला जयपुर को प्रभावी आपदा प्रबन्धन हेतु "खोज एवं बचाव उपकरण" मद 2245–01–800–03–04–18 में क्रमशः राशि रूपये 19.35 लाख एवं राशि रूपये 29.01 लाख कुल 48.36 लाख का बचाव उपकरण यथा (लाईफ जैकेट, लाईफ बाय, BOP रोप लाईन, गम बूट, हेलमेट, स्टेचर, ड्रेगन लाईट, मेगाफोन इत्यादि) क्रय करने हेतु किया गया है। अतः क्रय किये गये 30 सायरनों एवं सायरनों के संचालन हेतु निम्नानुसार अनावृति व्यय तथा आवृति व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के बजट आवंटन के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है, विवरण इस प्रकार है:–

क्र. सं.	आईटम / सेवा का नाम		अनावृति व्यय तथा आवृति व्यय का विवरण	कुल राशि रू. में
1	स्थापित 30 सायरन का संचालन व्यय	अनावृति व्यय	One Time Charges for each private APN	11800
			Physical IOT BSNL SIM One Time Charges 10+GST X 30	354
		आवृति व्यय	IOT (M2M SIM) Plan Name IOT5 (Free Mobile date 500MB & 1000 SMS) दर प्रति नग 41.30X 30 =1240 प्रति माह 1240 X 12 माह=14880	14880
			Annual Charges for Static public IPv6 address per SIM 24 X 30	720
			कुल राशि	**27754**

राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न बजट मद से किया जावेगा–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
01– सूखा आदि
800– अन्य व्यय
03– राहत कार्यो पर व्यय
04– सर्च एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय
18– मशीनरी और साज–सामान / औजार एवं संयत्र (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत) (राज्य निधि 25 प्रतिशत)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन जारी की जाती है:–

1. उक्त स्वीकृति से भिन्न कार्य हेतु इस राशि का व्यय अनुज्ञेय नही होगा।
2. उक्त उपकरणों की क्रय प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा RTTP Act 2012 तथा RTTP Rules 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

क्रय किये गये माल का इन्द्राज उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट, जयपुर के भण्डार पंजिका में किया जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(युगान्तर शर्मा)
प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

RajKaj Ref No.: 18366051
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Yugantar
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.10.30 12:08:52 IST
Reason: Approved

क्रमांकः

प्रतिलिपिः–

दिनांकः

1. निजी सचिव, जिला कलक्टर जयपुर।
2. उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, कलक्ट्रेट, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–दक्षिण

RajKaj Ref No.:
18366051
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Yugantar
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.10.30 12:08:52 IST
Reason: Approved

अत्यावश्यक

राजस्थान–सरकार
गृह विभाग विभाग

क्रमांकः प.12(1)गृह–5 / 2025 जयपुर, दिनांक : 07.05.2025

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त राजस्थान

विषय – आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत जिलों के लिए दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. आपदा प्रबन्धन की स्थिति के दृष्टिगत दुश्मन देश द्वारा हमले की स्थिति में समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध रहे, डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। इसके साथ साथ चिन्हित अस्पतालों व स्कूलों में जहां पर टेम्परेरी अस्पताल एवं लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है, वहां जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
2. सोशियल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखें तथा देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरन्त कानूनी कार्यवाही करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो।
3. जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करे कि आपात स्थिति में उनके जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे। लोग खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओ का अनावश्यक भंडारण नहीं हो।
4. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था आम जन के लिए उपलब्ध हो।
5. सीमावर्ती जिलों के संभागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस, जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक यथा गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर एवं बाडमेर अपने जिले के सम्बन्धित सेना एवं अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहे तथा समन्वय के साथ कार्यवाही करे।
6. सीमावर्ती जिलों में जो गांव सीमा पर स्थित है उन गांवों में आपात स्थिति में निकास (Evacuation) की योजना भी पूर्ण रूप से तैयार रखें।
7. जिलों में अति संवेदनशील (Vulnerable) स्थलों की सूची को अद्यतन कर उसमें अस्पताल, पॉवर प्लान्ट, तेल एवं गैस के डिपो/पाइपलाइन, धार्मिक स्थल

Scanned with CamScanner

इत्यादि को शामिल करते हुए उक्त संस्थानों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

8. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पंचायत एवं ग्राम स्तर पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की पूर्ण जानकारी हो तथा आम जन को यह विश्वास हो कि संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है।
9. जिलों में अग्निशमन सेवाओं को Active Mode पर रखा जावे।
10. जिलों में संचार सेवाओं को सुचारू रखा जावे तथा Public Address System पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में उपलब्ध रहे।
11. जिलों में समय समय पर आपदा प्रबन्धन योजना की मॉक ड्रिल की जावे।
12. आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठन/राष्ट्रीय सेवा योजना/नेशनल कॅडेट कॉर की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

(आनन्द कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी जिन्हें रेंज का प्रभारी बनाया हुआ है वे अपनी रेंज के महानिरीक्षक एवं सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखें।
8. महानिदेशक (इंटेलीजेन्स) राजस्थान जयपुर सेना के मूवमेंट के दृष्टिगत यह सुनिश्चित करेंगे कि मूवमेंट की सूचना कतिपय व्यक्तियों द्वारा दुश्मन देश से साझा नहीं की जावे।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षकगण।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner